

डिक्री व मुकदमें ईकादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए

प्रकरण संख्या:- 24/2026

शशिराज पुत्र श्री हरबंशलाल जाति ब्राह्मण निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ वादी  
बनाम

1. मधुकेश शर्मा पुत्र श्री हरबंशलाल जाति ब्राह्मण निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. गिरधर शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. भूषण शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. मंगलेश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।
6. तहसीलदार(राजस्व) टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 76/55 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.885 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का नाम कलमजन किया जावे व इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से तहसील टिब्बी के चक 2 एफ.टी.पी. के खाता सं. 151/133 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में 2.277 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 को 0.759 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 4 को 1.518 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर वादी का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी का खाता निम्नानुसार अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1. वादी शशिराज पुत्र श्री हरबंशलाल जाति ब्राह्मण निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :- चक 1 एस.एन.जी. के खाता सं. 76/55 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
220/145	4	21,22/0.253 है.प्र.
220/146	13	1/2/0.101 है.,1/3/0.025 है.,2/1/0.228 है.,2/2/0.25 कुल 0.885 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

2. प्रतिवादी सं. 1 मधुकेश शर्मा पुत्र श्री हरबंशलाल जाति ब्राह्मण निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:- चक 2 एफ.टी.पी. खाता सं. 151/133 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
224/233	34	11,12,13/0.253 है.प्र.कुल 0.759 है. कृषि भूमि

3. प्रतिवादी सं. 2 ता 4 क्रमशः गिरधर शर्मा, भूषण शर्मा एवं मंगलेश शर्मा पुत्रगण श्री ओमप्रकाश समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :- चक 2 एफ.टी.पी. खाता सं. 151/133 जमाबन्दी सम्वत् 2075-78

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
224/233	34	14 ता 19/0.253 है.प्र.कुल 1.518 है. कृषि भूमि

नोट:- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज  नल  मुब्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक  अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.2.2026 को जारी किया गया।



(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया